

प.सं. जीएम/एडमिन/01/046 अध्याय-1

कार्यालय - म.प्र./प्रशासन
दिनांक - 03.08.2019

शुद्धि पर्ची सं.-01/19

विषय - मॉडल शक्तियों की अनुसूची के भाग -ए के अनुलग्नक -ए (वर्क्स मैटर्स) में संशोधन एवं परिवर्धन ।

मॉडल शक्तियों की अनुसूची के भाग -ए के अनुलग्नक -ए (वर्क्स मैटर्स) में निम्नलिखित संशोधन एवं परिवर्धन किया गया है -(केवल सिविल इंजीनियरिंग विभाग के लिए लागू)

क्रमांक	निविदा का मूल्य	निविदा समिति का स्वरूप			स्वीकृति प्राधिकारी
		कार्यपालक विभाग	सहयोगी विभाग	विलत विभाग	
1.	रु.50 लाख तक	--	--	--	चयन श्रेणी / क.प्र. श्रेणी*
2.	रु.50 लाख से रु.1 करोड़ तक	कनिष्ठ वेतनमान	--	कनिष्ठ वेतनमान	चयन श्रेणी / क.प्र. श्रेणी
3.	रु.1 करोड़ से रु. 2.5 करोड़ तक	कनिष्ठ वेतनमान	कनिष्ठ वेतनमान	कनिष्ठ वेतनमान	चयन श्रेणी / क.प्र. श्रेणी
4.	रु.2.5 करोड़ से रु. 4 करोड़ तक	वरिष्ठ वेतनमान	वरिष्ठ वेतनमान	वरिष्ठ वेतनमान	चयन श्रेणी / क.प्र. श्रेणी
5.	रु.4 करोड़ से रु.20 करोड़ तक	चयन श्रेणी / क.प्र. श्रेणी	चयन श्रेणी / क.प्र. श्रेणी	चयन श्रेणी / क.प्र. श्रेणी	चयन श्रेणी / क.प्र. श्रेणी
6.	रु.20 करोड़ से 300 करोड़ तक	व. प्र. श्रेणी	व. प्र. श्रेणी	व. प्र. श्रेणी	व. प्र. श्रेणी
7.	रु.300 करोड़ से रु. 500 करोड़ तक	उच्च प्र. श्रेणी /व.प्र. श्रेणी (समन्वय विभागाध्यक्ष)	उच्च प्र. श्रेणी /व.प्र. श्रेणी (समन्वय विभागाध्यक्ष)	उच्च प्र. श्रेणी /व.प्र. श्रेणी (समन्वय विभागाध्यक्ष)	उच्च प्र. श्रेणी /व. प्र. श्रेणी (समन्वय विभागाध्यक्ष) महाप्रबंधक

नोट - दिनांक 11.09.2017 के रेलवे बोर्ड के पत्रांक सं 2017/ सीई-1/सीटी/9 के अनुसार निविदा मूल्य रु. 50 लाख तक सीधे स्वीकृति

विभाग	सहयोगी विभाग
सिविल	विद्युत
विद्युत	वर्कशाप के लिए यांत्रिक, टाउनशिप के लिए सिविल
यांत्रिक	सिविल/विद्युत (कार्य की प्रकृति के अनुसार निविदा स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।

इसे प्रमुख वित्त सलाहकार की सहमति एवं महाप्रबंधक/डीरेका के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

उपमहाप्रबंधक एवं सचिव /महाप्रबंधक
कृते महाप्रबंधक

प्रतिलिपि - सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु -

1. सभी विभागाध्यक्ष एवं वरि.प्रशा. श्रेणी के अधिकारी
2. सभी कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
3. सभी वरिष्ठ वेतनमान अधिकारी
4. सभी कनिष्ठ वेतनमान अधिकारी/सहायक अधिकारी

डीरेका, वाराणसी

उपमहाप्रबंधक एवं सचिव /महाप्रबंधक
कृते महाप्रबंधक